राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–पोमावा

पीठासीन अधिकारीः– श्री महीपाल भारद्वाज, RAS

राजस्व वाद सं. 94/2012
दायरा तिथि 23.10.2012
तारीख फैसला 26.05.2016

वादीगण–	बनामः	प्रतिवादी–
स्व.भगा पु. खुमाजी के का.मु.– 1–पदमाराम पुत्र भगारामजी 2–स्व.पुखराज पुत्र भगारामजी के का.मु.– 2/1–शांतिदेवी पत्नी पुखराजजी 2/2–हरिराम पुत्र पुखराजजी 3–स्व.वालाराम पुत्र भगारामजी के का.मु.– 3/1–मूलीदेवी पम्त्नी वालारामजी 3/2–दिनेशकुमार पुत्र वालारामजी 3/3–नंदकिशोर पुत्र वालारामजी तमाम जाति कुम्हार निवासी पुराडा तहसील सुमेरपुर		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारी) सुमेरपुर जिला पाली

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट,1955

–: फैसला :–

दिनांक 26.05.2016

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–पोमावा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकार उपस्थित। कथित प्रकरण में पटवारी पोमावा ने वादग्रस्त भूमि बाबत राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश की, जिसे रेकर्ड पर लिया गया। प्रश्नगत् मामले में हमने, लोक अदालत की भावना से पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रकरण की वाद–विषयक स्थिति अनुसार सरहद मौजा पुराडा, पटवार सर्कल पोमावा, तहसील सुमेरपुर में स्थित नियमन सुदा वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 240 रकबा 0.77 हेक्टर के बारे में वादीगण ने प्रतिवादी के विरूद्ध खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति का अनुतोष चाहा है।

(2) कि प्रश्नगत् मामले में वादग्रस्त भूमि बाबत पटवारी हल्का पोमावा ने रिपोर्ट में जाहिर किया है कि मौजा पुराडा के पुराने खसरा नं. 89 रकबा 214)3 बीघा में से वर्तमान खसरा नं. 240 रकबा 0.77 हेक्टर बने है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है। मौजा पुराडा के नये खसरा नं. 30/2 व 30/3 पूर्व में भगा पुत्र खुमा को आवंटन हुए थे जिसका अमल दरामद राजस्व रेकर्ड में हो चुका है आज भी स्व.भगा पुत्र खुमाजी के कायम मुकाम–पदमाराम पुत्र भगा कौम कुम्हार के नाम खसरा नं. 30/2 रकबा 0.80 हेक्टर किस्म बा.सो. राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज है तथा दिनेशकुमार, नंदकिशोर पि.वालाराम, मूलीदेवी बेवा वालाराम, दलीबाई, सुशीलाबाई पुत्रीया वालाराम जाति कुम्हार के नाम खसरा नं. 30/3 रकबा 0.80 हेक्टर किस्म बा. सो. राजस्व रेकर्ड में गैरखातेदारी दर्ज है। इसके अलावा पटवारी हल्का पोमावा ने अपनी रिपोर्ट में यह भी जाहिर किया है किस्व.भगा पुत्र खुमाजी के कायम मुकाम व वारिसान को आवंटित सुदा भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है, आवंटन सुदा भूमि का एक ही परिवार के नाम दुबारा अमल दरामद नहीं किया जा सकता है। इसलिए वादीगण का वादपत्र काबिल खारिज योग्य है, अतः खारिज फरमावें।

लगातार–2

उपखण्ड [redacted]

Scanned by CamScanner

(3) कि प्रश्नगत् मामले में वादग्रस्त भूमि बाबत प्रस्तुत साक्ष्य–दस्तावेज क्रमशः जमाबंदी संवत् 2057–60, जमाबंदी संवत् 2016–19, रसीदात, धारा 91 एल.आर.एक्ट का नोटिस, मिलान क्षेत्रफल, खसरा परिवर्तनशील संवत् 2019 लगाय 2035, गत् व हाल नक्शा, प्रार्थना पत्र व पटवारी रिपोर्ट दिनांक 07.03.1992, आवंटन/नियमन आदेश दिनांक 18.08.75 इत्यादि की प्रतियां का अवलोकन व परीक्षण करने एवं पटवारी हल्का पोमावा की तथाकथित जांच रिपोर्ट पर विचारण करने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि वादीगण अपने पूर्वज स्व.भगा पुत्र खुमाजी के नाम पूर्व में हुए आवंटन/नियमन सुदा भूमि जिसका आज तक राजस्व रेकर्ड में पूर्वकाल से अमल दरामद हो रखा है, इस वादग्रस्त भूमि जो राजस्व रेकर्ड में सिवायचक भूमि दर्ज है और इस भूमि पर वादीगण का अवैध कब्जा काश्त होने से आवंटन/नियमन भूमि की आड में दुबारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाना चाहते है, जो प्रथमतः विधि अनुसार उचित नहीं है, इसके अलावा वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज है तथा यह भूमि ग्राम पुराडा में स्थित होने से ग्राम पुराडा सुमेरपुर नगरपालिका की परिधीय सीमा में आता है और इसके आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि बाबत वर्तमान में किसी प्रकार से खातेदारी अधिकार व स्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार नहीं बनते है। इस प्रकार उल्लेखित तथ्यों एवं विश्लेषण के आधार पर हमारे विधिक मतानुसार वादग्रस्त भूमि बाबत वादीगण का कथित वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के प्रथमतः चलने योग्य व पोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उल्लेखित विवेचन तथ्यों के परिणामतः वादीगण का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के सरहद मौजा पुराडा, पटवार सर्कल पोमावा, तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 240 रकबा 0.77 हेक्टर के बारे में कतिपय प्रावधानों के तहत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रथमतः चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नहीं होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। माफिक फैसला डिक्री–पर्चा मुर्तिब हो।

यह फैसला बरोज आज दिनांक 26.05.2016 को राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र–पोमावा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला-पाली)

Scanned by CamScanner